केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/321 दिनांक: 01.09.2016

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00318
CICOM/R/2016/00729

अपीलकर्ता : श्री आर. एस. राजा,
डी-1/514, नन्द नगरी,
दिल्ली – 93.

निर्णय की तारीख : 01.09.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	30.05.2016
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	06.07.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री दिनेश कुमार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	27.07.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	160056/30.07.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	451/02.08.2016

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम में तीन बिंदुओं पर सूचना मांगी थी जिसके प्रतिउत्तर में श्री दिनेश कुमार, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-एस.ए. कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है । प्रस्तुत प्रथम अपील के माध्यम से अपीलकर्ता ने अभियोग लगाया है कि उन्हें केवल बिंदु सं. 3 से संबंधित सूचना ही प्रदान की गई है, बिंदु सं. 1 एवं 2 से संबंधित सूचना नहीं प्रदान की गई है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर अपीलकर्ता की शिकायत को सही पाया गया, अतः **श्री दिनेश कुमार, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-एस.ए. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के अंदर अपीलकर्ता को उनके आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 1 एवं 2 से संबंधित सूचना उपलब्ध करववाई जाए, यदि वांछित सूचना किसी अन्य अधिकारी से संबंधित है तो संबंधित अधिकारी की सहायता ली जा सकती है ।**

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

अचला सिन्हा

(अचला सिन्हा)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री दिनेश कुमार, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त – एस.ए. कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।